बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 198806 पटना, दिनांक 01-09-14

R.11019/163/2009-Sec07(5)

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास का बिक्री एवं अंतरण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष इंदिरा आवास का हस्तांतरण/बिक्री लाभुकों द्वारा किये जाने का मामला प्रकाश में आने के फलस्वरूप उनके पत्र संख्या-J-11060/7/2014-RH दिनांक-02.07.14 द्वारा इंदिरा आवास का कम-से-कम 15 वर्षों तक बिक्री/अंतरण की मनाही की गयी है क्योंकि यह सहायता गृह विहीन गरीब परिवारों को आश्रय देने के उद्देश्य से की गयी है ।

इस संबंध में विदित है कि पूर्व में ही विभागीय पत्रांक-3480 दिनांक-30.03.06 द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया था कि बी.पी.एल. परिवारों के लिए स्वीकृत इंदिरा आवास अथवा इसके सदृश्य अन्य आवास जिसका निर्माण केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त सहायता राशि से किया गया हो, के अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन आवास अंतरणीय नहीं होंगें । यदि इसका उल्लंघन होता है तो लाभुकों से अनुदान की पूरी राशि वसूल की जायेगी ।

अत: विभागीय उपरोक्त निर्णय को यथावत मानते हुए निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 198806 पटना, दिनांक 01-09-14 30/8/14

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 198806 पटना, दिनांक 01-09-14 30/8/14

प्रतिलिपि- श्री एस0 राकेश कुमार, उप सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 198806 पटना, दिनांक 01-09-14 30/8/14

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

30/8/14

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1096.doc